कार्यकारी सार

I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) अथवा उन विशिष्ट कारपोरेशनों को अधिशासित करने वाली सांविधियों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों और निगमों के लेखाओं तथा अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप पाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल किए गए हैं।

2. इस प्रतिवेदन में 11 मंत्रालयों/विभागों के अधीन 20 पीएसयूज़ से संबंधित 32 पृथक आपत्तियां शामिल हैं। प्रारूप आपत्तियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों, जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में पीएसयू काम कर रहे हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर प्रत्येक मामले में उनका उत्तर/ टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए भेजी गयी थी। इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने तक 22 आपत्तियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। इससे पूर्व, आपत्तियों के प्रारूप संबंधित पीएसयूज़ के प्रबंधन को भेजे गए थे, जिनके उत्तर इस प्रतिवेदन में उचित रूप से समाविष्ट किए गए हैं।

3. इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत पीएसयूज़ से संबंधित है:

मंत्रालय/विभाग (शामिल पीएसयूज़ की संख्या)	**पैराग्राफों की संख्या**	**उन पैराग्राफ की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था**
1. परमाणु ऊर्जा (एनपीसीआईएल)	1	1
2. नागर विमानन (एएआई)	5	5
3. कोयला (ईसीएल तथा एनएलसीएल)	2	1
4. वाणिज्यिक एवं उद्योग (ईसीजीसी)	1	1
5. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (एफसीआई)	5	5
6. उर्वरक (एमएफएल, एफएसीटी एवं	2	1

	आरसीएफ)		
7.	वित्त (आईएफसीआई फैक्टर्स लि, एसटीसीएल एवं यूआईआईसीएल)	4	-
8.	स्वास्थ्य एवं परिवार (एचएलएल)	2	-
9.	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम (भेल)	3	3
10.	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन (हुडको)	1	-
11.	विद्युत (डीवीसी, पीएफसीएल, एनईईपीसीओ एनटीपीसी तथा आरईसी)	6	5
कुल		**32**	**22**

4. लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 5,936.76 करोड़.

5. इस प्रतिवेदन में शामिल की गई पृथक लेखापरीक्षा आपत्तियां मौटे तौर पर निम्नलिखित स्वरूप की है:

- ❖ नियमों, निदेशों प्रक्रियाओं, ठेका की निबंधन एवं शर्तों आदि का अननुपालन जिनमें 14 पैराग्राफ में ₹ 2,858.12 करोड़ की राशि शामिल है।
- ❖ संगठनों के वित्तीय हितों की रक्षा न करना जिनमें 10 पैराग्राफ में ₹ 638.46 करोड़ की राशि शामिल है।
- ❖ दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण नियोजन जिनमें सात पैराग्राफ में ₹ 2,389.95 करोड़ की राशि शामिल है।
- ❖ अप्राप्त/त्रृटिपूर्ण मानीटरिंग जिसमें एक पैराग्राफ में ₹ 50.23 करोड़ की राशि शामिल है।

6. प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा के कहने पर पाँच पीएसयूज़ द्वारा की गई ₹ 49.19 करोड़ की वसूलियों से संबंधित पैरा और दो पीएसयूज़ द्वारा किए गए सुधारों/परिशोधनों से संबंधित अन्य पैरा भी शामिल है।

II. इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुछ महत्वपूर्ण पैराओं की मुख्य बातें निम्नानुसार है:

आर एण्ड एम नीति 2002 एवं कारोबार प्रक्रिया 2006 के अनुसार एनटीपीसी के 18 विद्युत स्टेशनों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यकलाप 2004-19 के दौरान किए जाने की योजना बनाई गई थी। नवीकरण और आधुनिकीकरण पर किया गया वास्तविक व्यय जुलाई 2007 और मार्च 2015 के बीच संस्वीकृत ₹ 8,327.40 करोड़ के प्रति मार्च 2015 तक ₹ 4,147.02 करोड़ था। लेखापरीक्षा में नौ विद्युत स्टेशनों में चयनित 20 योजनाओं में से 19 में आरएण्डएम कार्यों से संबंधित कार्यकलापों को पूरा करने में तीन से 109 माह का विलंब देखा गया था। 335 ठेका पैकेजों में से केवल 197 ठेका पैकेज प्रदान किए गए थे। पूरा किए गए 107 पैकेजों में से 41 पैकेज 31 मार्च 2015 तक विलंबित थे। एनटीपीसी को टैरिफ अवधि 2004-09 के अंदर कार्यो के पूरा न होने के कारण चार विद्युत स्टेशनो में ₹ 199.65 करोड़ की टैरिफ वसूली छोड़नी पड़ी थी क्योंकि टैरिफ वसूली हेतु प्रतिमानों को सीईआरसी द्वारा टैरिफ अवधि 2004-09 के लिए संशोधित किया गया था और उसे ₹ 23.42 करोड़ के ब्याज सहित टैरिफ वापस करना पड़ा था, चूंकि कुछ परियोजनाओं, जिनके प्रति टैरिफ वसूली की अनुमति दी गई थी, को टैरिफ अवधि 2009-14 के अंदर पूरा नहीं किया जा सका था। त्रुटिपूर्ण प्रणालियों के कारण ₹ 54.45 करोड़ का परिहार्य या अधिक व्यय तथा ₹ 269.78 करोड़ की उत्पादन हानि हुई क्योंकि उनके प्रतिस्थापन के लिए आरएण्डएम कार्यो का कार्यान्वयन विलंबित हो गया था। खराब थर्मल दक्षता के कारण ₹ 881.89 करोड़ की अधिक कोयला खपत, बलात् आऊटेज के कारण ₹ 489.29 करोड़ की उत्पादन हानि और परियोजनाओं को शुरू करने के बाद भी इनके समय पर पूरा न होने के कारण पर्यावरण प्रतिमानों का अननुपालन भी देखा गया था।

(पैरा 11.5)

हाउसिंग एण्ड अर्बन डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हडको) ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 37128.32 करोड़ जुटाए। निधियों के विभिन्न स्रोतों के मध्य उच्चतर ब्याज दरों वाले ऋण की हिस्सेदारी अधिक थी। निधि आवश्यकता के निर्धारण करने में निधि अन्तर्वाह/बहिर्वाह के महत्वपूर्ण कारकों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अधिक संग्रहण तथा ₹ 30.39 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार हुआ। अधिक मात्रा में अलाभकारी परिसम्पत्तियों तथा न्यूनतर निवल ब्याज मार्जिन के कारण न्यूनतर क्रेडिट रेटिंग के परिणामस्वरूप उच्चतर कूपन दर और ₹ 134.97 करोड़ का परिणामी अतिरिक्त वित्तीय भार हुआ। ऋणदाता कार्य में संवितरित राशि 2014-15 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान संस्वीकृत ऋण के 38.40 और 69.72 प्रतिशत के बीच थी। नियामक नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघनों, आंतरिक दिशानिर्देशों में कमियों और मूल्यांकन तंत्र, संवितरण प्रणाली, वितपोषित परियोजनाओं की मॉनीटरिंग में कमी तथा महत्वपूर्ण पूर्व-संवितरण शर्तों मे

छूट देने के परिणामस्वरूप अलाभकारी परिसम्पत्तियाँ हुई, जोकि 2010-11 में ₹ 1227.60 करोड़ से 2014-15 में ₹ 2029.33 करोड़ तक बढ़ गई और उसी अवधि के दौरान ये सकल बकाया ऋण राशि के 5.46 प्रतिशत और 6.76 प्रतिशत के बीच थीं।

(पैरा 10.1)

2012-13 से 2014-15 तक तीन वर्षों के लिए एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की पाँच डिवीजनों के विपणन कार्यकलापों की समीक्षा उन प्रचालनों की दक्षता एवं प्रभाविकता के मूल्यांकन के मद्देनजर की गई थी। कुछ अभ्युक्तियां निम्नानुसार है:

- सभी चार घरेलू डिवीजन उनके संबंधित बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही, विशेष रूप से पिछले दो वर्षों में। एचएलएल द्वारा 2012-13 से 2014-15 के दौरान इसके उत्पादों के विपणन पर पर्याप्त निधि खर्च करने के बावजूद लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी थी।
- एचएलएल में इसके ग्राहकों को क्रेडिट सीमा तथा क्रेडिट अवधि देने के लिए कोई एकरूप संरचना नहीं थी।
- दर की मात्रा में एचएलएल द्वारा 19.81 प्रतिशत और 300.88 प्रतिशत के बीच मात्रा छूट देने के बावजूद कमी आई।
- एचएलएल के पास प्रतिस्पर्धा का सामना करने और बाजार हिस्से में सुधार हेतु योजना बनाने के लिए उत्पाद परिवर्तन एवं विकास के लिए तदनुकूल बाजार अनुसंधान करने की कोई प्रणाली नहीं थी।
- यद्यपि, एचएलएल ने उत्पाद सुविधाओं में विस्तारण लिया है, फिर भी उपयोगिता मुख्यत: सरकारी आदेशों पर निर्भर थी। इसके अलावा, सब्सिडी दावों की समय पर प्राप्ति में विलंब ने इसकी वित्त स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

(पैरा 8.1)

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज (टीसीएस) के सहयोग से वित्तीय लेखांकन पैकेज (एफएपी) कार्यान्वित की थी। एफएपी के दो मुख्य घटक लेखांकन मॉडयूल तथा भुगतान मॉडयूल है। लेखापरीक्षा में प्रोग्रैमिंग लॉजिक और व्यापार नियमावली की मैपिंग की पर्याप्तता की जांच की गई थी। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे दर्शाया गया है:

- एफएपी का रॉल आऊट (भुगतान मॉडयूल) 01 अक्तूबर 2010 से शुरू किया गया था और एफएपी के लिए "गो लाइव" प्रमाणपत्र (01 दिसम्बर 2013 से लागू) प्रबंधन द्वारा फरवरी 2014 में टीसीएस को जारी किया गया था, इसके बावजूद एफएपी के समापन हेतु प्रमाणपत्र किसी प्रायोगिक स्थान द्वारा जारी नहीं किया

गया था। प्रायोगिक स्थानों द्वारा समापन प्रमाण जारी करने हेतु ठेकागत शर्त को पूरा न करने के बावजूद एफसीआई/टीसीएस ने पैकेज को रॉलआऊट कर दिया और टीसीएस को ₹ 12.53 करोड़ का पूरा भुगतान कर दिया गया।

- वर्चूअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टिविटी जिला कार्यालयों को उपलब्ध नहीं कराई गई थी जो एफएपी परियोजना के मुख्य अंतिम उपयोक्ता थे। अत: जिला कार्यालयों पर असंरचित तरीके से डाटा कार्ड सेवाओं तथा व्यक्तिगत ब्रॉड बैंड सेवाओं जैसे अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ा। इससे ₹ 4.02 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।
- स्टॉक लेखांकन के साथ एफएपी के इटंरफेस के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए थे जो ठेका के निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन में हैं। परिणामस्वरूप, प्रविष्टियां विभिन्न डिपो कार्यालयों (हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सहित) द्वारा भेजे गए मासिक स्टॉक लेखा विवरण से एफएपी में हस्त्य रूप से ही गई थी।
- ₹ 21.84 करोड़ की कुल लागत से विकसित इंटरप्राइज रिसॉर्स प्लानिंग (ईआरपी) अनुप्रयोग कम्पनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय विवरण नहीं बना रहा था।
- लेखापरीक्षा में एफएपी डाटा में कई असंगतियां एवं विसंगतियां देखी गई थी। इसके अलावा, वित्तीय लेखांकन मॉडयूल तथा भुगतान मॉडयूल में भी कई विसंगतियां देखी गई जिन पर पैरा में विस्तार से चर्चा की गई है।

(पैरा 5.2)

आर्थिक मामलों पर केबिनेट समिति (सीसीईए) ने तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमो के माध्यम से एफसीआई के केंद्रीय पूल भंडार से 65 लाख मीट्रीक टन (एमटीज) गेहूँ के निर्यात को अनुमोदित दिया। एफसीआई के पश्चिम जोन द्वारा गेहूँ के निर्यात की लेखापरीक्षा मई 2015 से जुलाई 2015 तक की गई थी जिससे निम्नलिखित का पता चला:

- पत्तन प्राधिकरण के अनुरोध पर निविदा में अतिरिक्त खंड के सम्मिलन के परिणामस्वरूप प्रबंधन एवं परिवहन (एचएण्डटी) ठेकों के लिए अन्य पंजीकृत बोलियों का निष्कासन हुआ। छह मामलों में सशक्त समिति (ईसी) द्वारा निविदाओं की प्रस्तुति के लिए अपर्याप्त समय की अनुमति दी गई थी।
- यद्यपि ईसी ने तीन मामलों के संबंध में पत्तनों की प्रस्ताव की गई दरों की नौ मामलों में अन्य पत्तनों में प्राप्त गेहूँ की दर के साथ तुलना की थी, फिर भी ईसी ने न तो कोई ऐसी तूलना की और न ही दर को अधिकतम करने के लिए कोई प्रयास किए, जबकि प्रस्तावित कीमत समान तिथि पर अन्य पत्तनों की तुलना मे कम थी।

समान कार्य के लिए, मुद्रा एवं पिपावाव निजी पत्तनों पर निकासी एवं सम्भलाई एजेंटो (सीएचएज) ने मैसर्स रिषी शिपिंग (कांडला पत्तन पर सीएचए) द्वारा प्रभारित प्रबंधन प्रभारों से अधिक प्रभार प्रभावित किया था।

- निर्यात के चरण **I** और चरण **II** के पूरा होने के बाद, गेहूँ के भंडार की संतुलित मात्रा को गुजरात में विभिन्न डिपों में हस्तातरित किया गया था जिससे परिणामस्वरूप ₹ 20.67 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।
- माइन्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन (एमएमटीसी) ने एफसीआई से वर्ष 1991 की प्राप्य राशियों से संबंधित पूरानी देयताओं के संदर्भ में समायोजन के रूप में वसूली गई राशि के ₹ 60.99 करोड़ रख लिए ।
- अदानी पोर्ट एण्ड सेज लिमिटेड (एपीएसईजेड) निर्दिष्ट स्तर पर निर्धारित अवधि में गेहूँ के कार्गों को निकालने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप निविदा निरस्त कर दी गई। इस प्रकार, आदेश के निरस्तीकरण के कारण ₹ 2.83 करोड़ की राशि छोड़ दी गई।
- सीएचएज को पूरे प्रभारों की प्रतिपूर्ति/भुगतान कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.01 करोड़ तक अतिरिक्त व्यय हुआ, इसके बावजूद एफसीआई ने प्रबंधन कार्य किए जो सीपीएसयूज़ द्वारा नियुक्त सीएचएज़ का उत्तरदायित्व था।

(पैरा 5.1)

2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड और मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के उर्वरक उत्पादों की लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

कंपनियों ने उत्पादन एवं बिक्रियों के लिए भारत सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन(एमओयू) में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया था। समझौता ज्ञापन के अनुसार उत्पादन एवं बिक्री लक्ष्यों की अप्राप्ति एफएसीटी बैंकरों द्वारा प्रतिकूल क्रेडिट दिए जाने के कारणों में से एक थी जिसके परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा प्राप्त की गई नकद क्रेडिट सुविधाओं पर उच्च ब्याज दर प्रभारित की गई।

बोलियों को अंतिम रूप देने में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अननुपालन के मामले देखे गए थे। एफएसीटी सामान्य निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना स्थायी गोदामों को किराए पर ले रहा था और गोदान के मालिको के साथ मोल-भाव के पश्चात नई दरों पर मौजूदा करार अवधि की समाप्ति पर करार का नवीकरण था। स्थायी रेलहैड ठेकों को अंतिम रूप न देने/गोदाम को किराए पर लेने की निविदा न देने के परिणामस्वरूप खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी आई। एमएफएल ने 2012-13 में 35 स्थानों, 2013-14 में 20 स्थानों और

2014-15 में 44 स्थानों के लिए दिए गए रेलहैड के सभी न्यूनतम ठेकेदारों के साथ बातचीत की, इसके बावजूद सीवीसी के अनुदेशों (जनवरी 2010) ने कुछ अपवादात्मक स्थितियों को छोड़कर एल I के साथ पश्च निविदा बातचीत पर रोक लगाई।

भारत सरकार से सब्सिडी का दावा और जांच में विलंब थे जिसके कारण कंपनियों को परिसमापन मुश्किल का सामना करना पड़ा। 31 मार्च 2015 तक सरकार से ₹ 740.12 करोड़ तथा ₹ 448.23 करोड़ की सब्सिडी राशि क्रमश: एमएफएल तथा एफएसीटी द्वारा प्राप्त किया जाना लंबित था।

(पैरा 6.1)

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ऋण आवेदन की संवीक्षा के लिए गठित समिति द्वारा निर्देशित उचित सावधानी के अनुसार केवल ₹ 45 करोड़ का ऋण न्यायोचित था, जबकि निदेशक मंडल ने ₹ 250 करोड़ का अनुमोदन किया था। यद्यपि, बोर्ड ने मुख्य/अन्य ऋणदाताओं द्वारा लिए गए निर्णय पर ध्यान न देते हुए प्रबंधन को एक सुविचारित एवं स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने का निर्देश दिया, आंबटन पूर्व शर्तों के भाग के रूप में परिकल्पित जोखिम कम करने वाले उपायो में उनके अनुपालन के लिए समय विस्तार के माध्यम से छूट दी गई थी और अगस्त 2007 तथा मार्च 2010 के बीच ऋण संवितरण की पूरी अवधि में तथा दिसम्बर 2015 तक अधिकतर शर्तों का पालन नहीं किया गया है। दिसम्बर 2010 से ऋण चुकाने में ऋणकर्ता की निरंतर चूक के कारण ऋण को जून 2011 में गैर-निष्पादन परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया और जनवरी 2013 में इसे संदेहास्पद ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया। अत: आबंटन पूर्व शर्तों में छूट देने के बाद वित्तीय रूप से दुर्बल विकासकों के साथ जुड़े जोखिम पर ध्यान न देकर ऋण की संस्वीकृति एवं संवितरण के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 250 करोड़ का ऋण जोखिम हुआ।

(पैरा 11.6)

पॉवर फाईनेन्स कॉरपोरेशन (पीएफसी) को अन्य व्यवसाय संघ भागीदारों के निर्णय पर ध्यान न देते हुए किश्तों के निर्गम पर स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति प्रदान करने वाले सामान्य ऋण समझौते के प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए पीएफसी द्वारा संवितरण पूर्व शर्तों में छूट देने तथा ऋण की किश्तों के निर्गम के निर्णय के कारणवश ₹ 239.36 करोड़ ऋण राशि का जोखिम पूर्ण प्रकटन हुआ तथा ऋण एक अवमानक परिसंपत्ति बन गया। परियोजना के लिए कोयला ब्लाक के संदिग्ध कपटपूर्ण आबंटन के कारण परियोजना के पूर्ण होने के संबंध में अनिश्चतताएँ थी।

(पैरा 11.2)

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पंजीकृत, एक गैर-बैंकिग वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी), एसटीसीआई फाईनेन्स लि. ऋणदाता के साथ सुविधा करार के नियम एवं शर्तें और इसकी उधार नीति के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर ऋणों को एनपीएज़ के रूप में

घोषित करने में चूककर्ता ऋणों को रीकॉल करने, सुरक्षा लागु करने, परिसम्पति पुनः निर्माण कम्पनी को एनपीए बेचने के विकल्पों के अन्वेषण और चूककर्ता ऋण लेने वालों के विरूद्ध सिविल मुकदमा फाइल करने में असफल रही। परिणामस्वरूप, ₹ 152 करोड़ तक की निधियों को अशोध्य ऋणों में ब्लॉक कर दिया गया और मार्च 2010 से जून 2015 के दौरान ₹ 39.36 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(पैरा 7.3)

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने एक विदेशी ग्राहक की वास्तविक प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाए बिना यह मानते हुए ट्रांसफॉर्मर बनाया था कि ट्रांसफॉर्मर को बराबर लोडिंग आधार पर प्रचालित किया जायेगा और चूक का पता लगने से तीन वर्षों की अवधि के भीतर भी यह अपने द्वारा आपूर्ति किए गए ट्रासफॉर्मर की समय पूर्व असफलता का समाधान करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप, ग्राहक ने मध्यस्थता कार्रवाई प्रारंभ की और न्यायाधिकरण ने ग्राहक के पक्ष में निर्णय दिया। भेल ने अपने द्वारा आपूर्ति किए गए ट्रासफॉर्मरों की प्रतिस्थापन लागत के रूप में ₹ 163.17 करोड़ के मुआवजे का भुगतान किया।

(पैरा 9.1)

न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने अधिकारियों और कर्मचारियों जिन्हें आवास से शहर तक स्वतत्र कार/परिवहन सुविधा पहले से उपलब्ध कराई गई थी को स्थलों के लिए मुख्यालय एवं स्थल वाहन भत्ता (एससीए) के लिए शहरी वाहन भत्ता (सीसीए) के रूप में पुन:नामित परिवहन भत्ता अदा किया गया था। उक्त सीसीए/एससीए की गणना उन कर्मचारियों जिन्हें परिवहन सुविधा नहीं दी गई थी (आधार दर) के लिए प्रस्तावित वाहन भत्ता की 40 प्रतिशत की दर पर की गई थी। अधिकारियों/स्टाफ को सीसीए/एससीए का भुगतान वाहन भत्ते के स्थापित सिद्धान्त के उल्लंघन में किया गया था जिसके कारण सितम्बर 2008 से मार्च 2015 के दौरान ₹ 105.47 करोड़ का परिणामी अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैरा 1.1)